देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

JAWAB DO SARKAR
www.jawabdosarkar.com

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा जारी
सूचना प्रोद्द्योगिकी(मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता)नियम,2021 के नियम 18 के तहत संचालित पोर्टल

रेफरेंस संख्या –2022/mmp/17 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | सोमवार, 21 मार्च 2022

झालाना डूंगरी स्थित कल्ली के भट्टों वाली सरकारी जमीन का मालिक कौन? जेडीए,नगर निगम या वन विभाग?

भाग-5

क्या विभाग के मंत्री श्री शांति धारीवाल तय करेंगे विभागो की ज़िम्मेदारी?

जेडीए की उदासीनता और लेट-लतीफी के चलते छह साल पहले मुक्त करवायी गयी करोड़ो रुपयों की सरकारी जमीन पर फिर भूमाफिया और अतिक्रमी काबिज!!!

सरकारी जमीन पर जेडीए ट्रिब्यूनल और सिविल न्यायालयों के कई स्टे, स्टे की आड़ मे धड्ड्ले से हो रहे अवैध निर्माण और अतिक्रमण!!!

जेडीए और सरकार के कर्णधारो की जवाबदेही पर उठ रहे सवाल?

सरकारी जमीनो पर अतिक्रमण के विरुद्ध ज़ीरो टोलरेंस की नीति अपनाने वाले अधिकारी, आखिर क्यूँ नहीं दिखा रहे अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति?

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

जेडीए के ज़ोन 1 मे स्थित झालाना डूंगरी,बाईजी की कोठी,दूरदर्शन केंद्र के पास स्थित करोड़ो रुपयों की सरकारी जमीन का मामला|

जेडीए के ज़ोन 1 मे स्थित झालाना डूंगरी,बाईजी की कोठी,दूरदर्शन केंद्र के पास स्थित सरकारी जमीन पर बरसो से भू-माफियाओं की गिद्ध द्रष्टि गढ़ी हुई है|विगत 10 सालों मे इस सरकारी जमीन पर कई बार बस्तियाँ बसाने की कोशिशे की जा चुकी है और कई बार जेडीए इन अवैध बस्तियों को उजाड़ भी चुका है|परंतु भूमाफियाओं और जेडीए के भृष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से हर कार्यवाही के बाद इस सरकारी जमीन पर बस्तियाँ बस जाती है|वर्ष 2016 मे जेडीए द्वारा बड़े ज़ोर-शोर से इस जमीन को अतिक्रमियों और भूमाफियाओं से मुक्त करवाया गया था लेकिन जेडीए की उदासीनता और मिलीभगत के चलते इस सरकारी जमीन पर जेडीए की नाक के नीचे पुनः अवैध कॉलोनी बस चुकी है|

परंतु इस बार भूमाफियाओं द्वारा बड़े सुनियोजित तरीके से इस जमीन पर कब्जे किए जा रहे है|जिसकी भनक जेडीए के जिम्मेदार अधिकारियों को भी है|अब इस सुनियोजित साजिश से लगता है कि अब जेडीए के अधिकारियों का हिस्सा भी तय हो चुका है|तभी तो लाख शिकायतों के बावजूद जिम्मेदार सोये हुए है और अतिक्रमी धड़ाधड़ अतिक्रमण कर,अवैध निर्माण कर रहे है|

विगत दो सालो से हम उठा रहे यह मामला,लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद जेडीए मुक्त नहीं करा पा रही इस सरकारी जमीन को अतिक्रमणों और अवैध निर्माणों से|

विगत दो सालो से हमारे द्वारा इस मामले को कई बार जेडीए और सरकार के जिम्मेदारों के संज्ञान मे लाया गया|लेकिन हर बार अलग अलग और भ्रामक उत्तर देकर मामले को रफा-दफा करने के प्रयास किए जा रहे है|कभी जेडीए द्वारा बताया जाता है कि उसके द्वारा अतिक्रमणों के विरुद्ध धारा 72 के नोटिस जारी किए जा चुके है,कभी कहा जाता है कि जमीन पर स्टे है,कभी कहा जाता है कि यह जमीन जेडीए की जा होकर वन विभाग और नगर निगम की है|

विभाग के आला अधिकारी भी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की कथा-पुराण सुन कर शांत हो जाते है और यह मामला पुनः ठंडे बस्ते मे चला जाता है|ना जाने क्यूँ सरकारी जमीन पर अतिक्रमणों के विरुद्ध ज़ीरो टोलरेंस नीति का ढिंडोरा पीटने वाले अधिकारी, यह मामला सामने आते ही, चुप्पी साध लेते है|सवाल यह है कि जमीन चाहे वन विभाग की हो या फिर निगम, जेडीए की,क्या इसे अतिक्रमण मुक्त करवाना सरकार की ज़िम्मेदारी नहीं है?यदि जेडीए द्वारा इसे सरकारी जमीन मान लिया गया है तो फिर अतिक्रमियों से क्यू जवाब मांगे जाते है?क्यूँ उनके परीक्षण का नाम लेकर समय खराब किया जाता है?ऐसे कई सवाल है जो जेडीए और सरकार की जवाबदेही पर सवालिया निशान खड़े कर रहे है|

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक–जविप्रा / प्र.अ. / जोन–1 / 2021 / डी– 219 दिनांक:– 20/12/21

मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

विषय :–झालाना क्षेत्र में बाईजी की कोठी, दूरदर्शन के पास स्थित कली भट्टों की सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के संबंध में।

संदर्भ :– राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर प्राप्त शिकायत क्रमांक 102114911195283 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि श्री ज्ञानेश कुमार द्वारा राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर जविप्रा की सरकारी जमीन झालाना डूंगरी बाईजी की कोठी में दूरदर्शन केन्द्र के सामने कली के भट्टे के पास में जविप्रा की जमीन पर किये गये अतिक्रमण को हटाने के संबंध में निवेदन किया गया है।

प्राप्त प्रकरण में मौका देखा गया। मौके पर सब्जी की थडियॉं, कबाडी की दुकाने (गोदाम), पेप्सी के गोदाम एवं बिल्डिंग मैटेरियल की दुकाने संचालित पाई गई एवं उपायुक्त जोन–1 से कुल 19 अतिक्रमियो के संबंध मे अतिक्रमण प्रोफार्मा रिपोर्ट प्राप्त हुई. जिनमें से 14 अतिक्रमियों को 14 नोटिस जविप्रा अधिनियम 1982 की धारा 72 के नोटिस दिनांक: 01.04.2021 व दिनांक: 06.04.2021 को जारी किये गये। नोटिस के जवाब में अतिक्रमणधारी द्वारा उक्त भूमि जेडीए की न होकर नगर निगम जयपुर की होना बताया गया है व प्रार्थी 1964 से नगर परिषद् जयपुर की अनुमति से काबिज होना बताया है व राज्य सरकार की आज्ञा स. एफ1 (621)60 दिनांक:05.01.62 के अन्तर्गत 59 एकड वन भूमि म्यूनिसिपल बोर्ड/ नगर निगम जयपुर का कली भटटे हेतु रिलिज किया गया था। उक्त भूमि को नगर निगम जयपुर ने रास्व रिकॉर्ड में अपने नाम आज तक दर्ज नहीं करवाया गया है। उक्त भूमि नामान्तरण ना होने के कारण जेडीए इसे अपनी समझ रहा है।

जवाब का परीक्षण उपायुक्त जोन से करवाया गया, तो निम्न रिपोर्ट प्राप्त हुई प्रश्नगत भूमि कली भट्टा झालाना जविप्रा स्वामित्व की न होकर वन विभाग के नाम दशाई गई है। प्रश्नगत भूमि पर से जविप्रा द्वारा पूर्व में अतिक्रमण हटाये जाने के सम्बन्ध में पूर्व में सचिव, जविप्रा द्वारा दिये गये निर्देशों की अनुपालना में जेडीए किसी भी भूमि पर से जो निजी नही हो अतिक्रमण हटा सकता है। नगर निगम जयपुर द्वारा प्रश्नगत भूमि से सम्बन्धित भट्टे हेतु आवंटन संबंधित कोई रिकॉर्ड जोन में उपलब्ध नहीं है भूमि खसरा नम्बर 26 व 28 वन विभाग का व खसरा नम्बर 29 जेडीए का है।

नोटिस के संबंध में कैलाश मीना द्वारा अपील संख्या 192/2021 अपीलीय अधिकरण जविप्रा जयपुर में दायर की गई है। जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 30.12.2021 नियत है एवं पूर्व में 12. अतिक्रमणकर्ताओ को दिनांक 26.07.2021 को 7 दिवस में अतिक्रमण को हटाने हेतू नोटिस जारी किया गया था। अतिक्रमणकर्ताओ द्वारा प्रस्तुत जवाब के साथ अपर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट कम –14 जयपुर महानगर प्रथम सांगानेर द्वारा जारी अंतिरम निषेधाज्ञा दिनाक 20.05.2021 को दिया गया। निर्णय की कापी प्रस्तुत की है जिसमें विवादित भूमि से बिना किसी विधिक प्रकिया अपनाये प्रार्थी को भूमि से बेदखल न करने, ना ही भूमि पर हुए निर्माण के साथ किसी प्रकार की तोडफोड न करे यह अतंरिम आदेश केवल आगामी तारीख पेशी तक प्रभावित रहेगा प्रस्तुत किया है तथा शेष 4 अतिक्रमणों को दिनांक 02.08.2021 को धारा 72 के नोटिस जारी किये गये है। परिवादी को अवगत करवा दिया गया है। रिपोर्ट सादर प्रस्तुत है।

(राजेन्द्र सिंह चारण)
प्रवर्तन अधिकारी जोन–1
जविप्रा, जयपुर।

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: : फैक्स- +91-141-2574555
ई-मेल :

जवाब मांगते सवाल?

1. झालाना डूंगरी स्थित कल्ली के भट्टों वाली सरकारी जमीन का असली मालिक कौन?जेडीए,नगर निगम या वन विभाग?
2. सरकारी जमीनो पर अतिक्रमण के विरुद्ध ज़ीरो टोलरेंस की नीति अपनाने वाले अधिकारी,आखिर क्यूँ नहीं दिखा रहे अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति?
3. जो अतिक्रमी और भूमाफिया जेडीए ट्रिब्यूनल और सिविल कोर्ट के स्टे की आड़ लेकर बैठे है,क्या उनके कब्जो को पिछली बार जेडीए द्वारा की गयी कार्यवाही मे ध्वस्त नहीं किया गया था?
4. यदि यह जमीन नगर निगम और वन विभाग के स्वामित्व की है तो नगर निगम और वन विभाग इस जमीन पर अपना दावा क्यूँ नहीं कर रहा?
5. क्या वन विभाग और नगर निगम द्वारा इस सरकारी जमीन पर काबिज अतिक्रमियों को किसी प्रकार के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज़ जारी किए गए है?क्या जेडीए द्वारा नगर निगम,वन विभाग से इस बात की पुष्टि की गयी है?क्या मात्र अतिक्रमियों के कहने से यह जमीन नगर निगम की हो जाती है?

पेप्सी के गोदाम के पास चल रहा अवैध छत भराई का कार्य

6. यदि यह जमीन जेडीए की नहीं है तो क्यूँ पिछले दफा लाखो रुपए खर्च कर इस जमीन से कब्जे हटवाए गए थे?क्या मात्र जेडीए सचिव के निर्देशों की पालना करने के लिए पिछले दफा लाखो रुपए खर्च कर इस जमीन से कब्जे हटवाए गए थे?यदि यह जमीन जेडीए के स्वामित्व की नहीं थी तो यह तथ्य पिछली बार ही अपने उच्चाधिकारियों को क्यूँ नहीं बताए गए थे?यदि इस बार भी जेडीए सचिव निर्देशित करेंगे तो क्या जेडीए प्रवर्तन यह जमीन जेडीए की ना होने के बावजूद, इस पर से पुनः अतिक्रमण हटाने को तैयार हो जाएगा?
7. यदि यह जमीन जेडीए की नहीं है तो क्यूँ ज़ोन के उपायुक्त इस सरकारी जमीन की तारबंदी करवाने के लिए चिट्ठी पर चिट्ठी लिखे जा रहे है?
8. ज़ोन के किन कर्मचारियों और अधिकारियों की शह पर सरकारी जमीन पर कब्जे का खेल खेला जा रहा है?
9. यदि इस जमीन पर जेडीए ट्रिब्यूनल और अन्य सिविल न्यायालयों का स्टे है तो उसके बावजूद इस सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण बदस्तूर कैसे जारी है?